

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 143/2021

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001
— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स अलाउदीन हाजी मैनुदीन जरिये प्रो० अलाउदीन, पता-14, पेंड पोदार गेट, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
2. अलाउदीन पुत्र मैनुदीन, जाति बिसायती मुस्लिम, नि० बिसायतियों का मौहल्ला, वार्ड नं० 25, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
Also At- अलाउदीन, कार्मिशयल शॉप, वार्ड नं० 11, विधाविर्वर्द्धन लाईब्रेरी के सामने, मैनमार्केट, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
3. शमसेर पुत्र अलाउदीन, जाति बिसायती मुस्लिम, नि० कोठी रोड, Chaliyyo चकियों के पास, वार्ड नं० 25, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि०) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. एडवोकेट श्री राजेन्द्रसिंह बुडानिया.- अप्रार्थी सं० 2 (1), 2 (3), 2 (4) व 3 की ओर से

आदेश

दिनांक 27.04.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 6,00,000/-रु० अक्षरे छः लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं० L9001060118831124 दि० 30.09.2019 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है- अचल संपत्ति कार्मिशयल शॉप, वार्ड नं० 11, विधाविर्वर्द्धन लाईब्रेरी के सामने, मैन मार्केट, नवलगढ, जिला झुंझुनू, नपति 12.27 वर्ग गज अप्रार्थी अलाउदीन के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब में - शॉप पार्टनर राधेश्याम मिश्र
पश्चिम में - शॉप दामोदर सोनी
उत्तर में - रोड
दक्षिण में - राधेश्याम मिश्र



अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दि० 11.12.2020 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दि० 24.05.2021 द्वारा अं. धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और

प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 7,20,322/रु0 अक्षरे सात लाख बीस हजार तीन सौ बाईस, रु0 मय ब्याज व खर्चा दि0 11.12.2020 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति कार्मिशयल शॉप, वार्ड नं0 11, विधाविदर्शन लाईब्रेरी के सामने, मैन मार्केट, नवलगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 12.27 वर्ग गज अप्रार्थी अलाउदीन के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

पूरब में — शॉप पार्टनर राधेश्याम मिश्र
पश्चिम में — शॉप दामोदर सोनी
उत्तर में — रोड
दक्षिण में — राधेश्याम मिश्र

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। अप्रार्थी सं0 2 की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को नियमानुसार रिकार्ड पर लिया जा चुका है। प्रकरण मे गिरवीकृत सम्पत्ति का कब्जा दिलवाया जाना विधिक रूप से सही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि जब अप्रार्थी सं0 2 की मृत्यु हो चुकी थी तो प्रार्थी ने नोटिस किसको तामिल करवाये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ गलत शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने ऋण तो ऋणी को दिया है और बीमा गारन्टर की की है। प्रार्थी पहले बीमा कम्पनी से ऋण की वसूली करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं0 2 अलाउदीन के मालिकाना हक की अचल संपत्ति कार्मिशयल शॉप, वार्ड नं0 11, विधाविदर्शन

लाईब्रेरी के सामने, मैन मार्केट, नवलगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 12.27 वर्ग गज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं